न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी : देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्र.सं. 50/2025 प्रार्थना पत्र स्थानांतरण

योगेश कुमार मंगल पुत्र रामअवतार मंगल जाति महाजन निवासी राजा कॉलोनी दौसा जिला दौसा ....प्रार्थी

बनाम

1. श्री मूलचंद लूणिया उप जिला कलेक्टर दौसा
2. बनवारीलाल पुत्र कल्याणसहाय
3. मुरारीलाल पुत्र कल्याणसहाय
4. रमेशचंद पुत्र कल्याणसहाय
   जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी ग्राम भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा
5. धारासिंह पुत्र विजयसिंह
6. रामधन पुत्र भौरया
7. रामसिंह पुत्र विजयसिंह
8. रोशन पुत्री विजयसिंह
9. लाडा देवी पत्नि विजयसिंह
   जाति गुर्जर निवासी ग्राम भड़ाना तहसील दौसा जिला दौसा
10. बैक आफ बडौदा जरिये शाखा प्रबंधक शाखा भण्डाना जिला दौसा
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा
12. उपपंजीयक दौसा जिला दौसा

...अप्रार्थीगण

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र विरूद्ध उप जिला कलेक्टर दौसा बाबत मुकदमा वाद अनुवानी बनवारीलाल बनाम योगेश मंगल दावा/प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा जिसमें आगामी तारीख पेशी 3.07.2025 व शीघ्र सुनवायी के प्रार्थना पत्र में आगामी तारीख़ पेशी दिनांक 9.06.2025 नियत है।

उपस्थित : 1. श्री विनोद विजय, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता
3. श्री उमेश कुमार गौड, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 से 4

—:: निर्णय ::—

दिनांकः 30.7.2025

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा में विचाराधीन मुकदमा उनवानी बनवारीलाल बनाम योगेश मंगल दावा बाबत दावा/प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को किसी भी दीगर उप जिला कलक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानांतरित करने हेतु प्रार्थना पत्र स्थानांतरण पेश किया गया है।
2. स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। उप जिला कलक्टर दौसा से बिन्दुवार टिप्पणी मंगवाई गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थी ने स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अप्रार्थी नंबर 2 लगायत 4 ने अधिकरण न्यायालय उप जिला कलेक्टर दौसा के समक्ष निहायती झूठे तथ्यों के आधार पर [illegible] उदघोषणा नक्शा दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया तथा [illegible] बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित फरमाते हुए अधिघोषणा [illegible] की पारित करे [illegible] दीगण अपनी आराजी पूर्व साबिका खसरा नंबर अनुसार वर्तमान मे काबिज होकर [illegible] लाभान्वित होतें चले आ रहे है जिससे प्रतिवादीगण का कोई संबंध सरोकार नही है तथा उक्त आराजी के हाल नक्शा ट्रेस गलत प्रकार से जो, तरमीम अंकित कर दी है उससे प्रतिवादीगण का

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:58:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

कोई संबध सरोकार नही है तथा वर्तमान नक्शा ट्रेस मे वादीगण की भूमि वादग्रस्त जो चरण संख्या 1 मे अंकित है मे प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नंबर 2059/1214 2081/1708, 2063/1710, 2065/1712 एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 की खसरा नंबर 1709/1262 वाके ग्राम भण्डाना अंकित की गयी है उसे विलोपित फरमाकर उदघोषित फरमाकर नक्शा ट्रेस मे वादीगण की वादग्रस्त आराजी में अंकित की जावे एवं वादीगण को साबिका खसरा नंबर 1260, 1255, 1256, 1257, 1258 1263 जिसके हाल खसरा नंबर 1263/1260 एवं 1815/1255, 1857/1256, 1619/1257, 1821/1258, 1825/1263 का वादीगण को खातेदार काबिज काश्तकार घोषित फरमाया जावें व स्थाई निषेधाज्ञा की याचना चाही। उक्त वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया गया और प्रतिवादीगण की तलबी की गयी उक्त वाद में प्रार्थी हाजिर आया और प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने इंटरिंम टी आई की बहस सुनी गयी और अधिनस्थ न्यायालय ने बहस सुनकर इंटरिम टी. आई. जारी नहीं की और प्रकरण में अन्य प्रतिवादीगण की तलबी में व प्रकरण प्रार्थी/प्रतिवादी नंबर 1 के जवाब दावें में नियत की गयी तथा प्रकरण में आगामी तारीख पेशी 13.05.2025 नियत की गयी। प्रकरण में अप्रार्थी नंबर 2 लगायत 5 उक्त प्रकरण में येन केन प्रकारेण स्टे लेना चाहते है तथा जिसके लिये अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के उपर आये दिन अनुचित दबाव बनाते है तथा प्रकरण में आये दिन शीघ्र सुनवायी का प्रार्थना पत्र पेश कर बार बार नोटिस जारी करवाते है तथा पीठासीन अधिकारी जी के उपर बार बार दबाव बनाते है जबकि प्रकरण जवाब व अन्य प्रतिवादीगण की तलबी में नियत है। उक्त प्रकरण में अप्रार्थी नंबर 2 लगायत 5 ने दिनांक 27.05.2025 को शीघ्र सुनवायी का प्रार्थना पत्र पेश किया तथा दिनांक 5.06.2025 की तारीख पेशी के लिये नोटिस जारी किये गये तो प्रार्थी दिनांक 5.06.2025 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष हाजिर आया तथा अप्रार्थी नंबर 2 लगायत 5 व उनके अधिवक्ता भी उपस्थित आये किन्तु अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी जी कोर्ट में नही विराजे तथा प्रार्थी के अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर और शीघ्र सुनवायी के प्रार्थना पत्र की नकल मांगी तो नकल तक नही दी तथा अन्य सभी प्रकरणो मे तारीख पेशी जनरल नियत की गयी तथा इस प्रकरण मे विशेष रूचि लेकर तारीख पेशी 9.06.2025 नियत कर दी और अप्रार्थी नंबर 2 लगा0 5 ने प्रार्थी को धमकी दी कि उक्त केस मे पीठासीन अधिकारी से बात हो गयी है तथा उक्त केस मे हम स्टे करवायेगे तो प्रार्थी शाम को अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी जी से मिलने के लिये गया तो देखा कि अप्रार्थी नंबर 2 पीठासीन अधिकारी जी के चैम्बर मे बैठा था तथा बातचीत कर रहा था तो प्रार्थी भी पीठासीन अधिकारी से मिलने चला गया और पीठासीन अधिकारी जी से कहा कि उक्त प्रकरण मे स्टे की बहस हो गयी अब दुबारा स्टे पर बहस कैसे होगी तो पीठासीन अधिकारी जी ने कहा कि आप दिनांक 9.06.2025 को हाजिर हो जाना मै तो उक्त प्रकरण मे बहस सुनुगा और स्टे जारी करूंगा। उप जिला कलेक्टर दौसा ने जिस प्रकार इस केस मे तारीख पेशी दी है जिस प्रकार समय तय किया है जिस प्रकार बिना जल्दी सुनवायी के प्रार्थना पत्र की नकल दिलवाये बिना ही व प्रार्थना पत्र का निर्णय किये बिना ही और पूर्व में स्थगन पर सुनवायी हो जाने व निर्णय हो जाने व प्रकरण जवाब व अन्य प्रतिवादीगण की तलबी मे नियत होने के बावजूद भी [illegible] जारी करूगां जिससे स्पष्ट सिद्ध कि उप जिला कलेक्टर अप्रार्थीगण नंबर 2 [illegible] के दबाब मे आकर उक्त प्रकरणो मे कार्यवाही कर रहे है और [illegible] किसी भी प्रकार का कोई प्रथम दृष्टया केस हक अधिकार [illegible] नही होने के बावजूद भी मिलीभगत होने के कारण कानूनी प्रकियाओ का सरासर उल[illegible] कर अप्रार्थीगण के पक्ष मे स्टे जारी करने पर आमादा हो रहे है। दिनांक 6.06.2025 को अप्रार्थी नंबर 2 ने प्रार्थी को धमकी दी कि, हमारी उप जिला कलेक्टर से बात हो गयी है अब देखना दिनांक 09.06.2025 को तेरे

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:58:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

खिलाफ स्टे आदेश जारी करवा देगे, अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर महोदय दौसा के इस प्रकरण मे विशेष रूचि लेकर कार्यवाही करने से प्रार्थी को साफ जाहिर हो गया कि उप जिला कलेक्टर दौसा अप्रार्थी नंबर 2 लगायत 5 से मिले हुए है तथा उनसे मिलीभगत होने के कारण उक्त प्रकरण में आनन फानन मे सुनवायी कर अप्रार्थी नंबर 2 लगायत 5 के पक्ष मे निर्णय करेगें जिसके कारण प्रार्थी को अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर दौसा से न्याय की कतई उम्मीद नही रही है। कानून का यह सार्वभौम सिद्धान्त है कि न्याय हो रहा है ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए किन्तु प्रार्थी को उप जिला कलेक्टर दौसा से न्याय होता प्रतीत नही हो रहा है और जहाँ न्याय होता प्रतीत नही हो वहाँ प्रकरण की सुनवायी किया जाना कतई न्यायोचित नही है इसलिये उक्त प्रकरण को विधिवत सुनवायी हेतु उप जिला कलेक्टर दौसा के न्यायालय से किसी दीगर न्यायालय मे सुनवायी हेतु स्थानान्तरित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर उप जिला कलेक्टर दौसा के समक्ष विचाराधी मुकदमा दावा अनुवानी बनवारी लाल बनाम योगेश मंगल व उक्त अनुवानी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा जिसमे शीघ्र सुनवायी के प्रार्थना पत्र पर आगामी तारीख पेशी 9.06.2025 नियत है को विधिवत सुनवायी हेतु किसी दीगर न्यायालय में स्थानान्तरण करने की कृपा करे।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिक प्रकिया अपनाई जाकर सुनवाई की जा रही है। पीठासीन अधिकारी पर प्रार्थी के द्वारा लगाये गये आरोप निराधार है। प्रार्थी का स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

5. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 से 3 ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी के द्वारा गलत आधारों पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 व 3 ने विचाराधीन वाद को दीगर उपखंड अधिकारी के न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

6. उप जिला कलक्टर दौसा से बिन्दुवार टिप्पणी प्राप्त की गई जिसके अनुसार दावा सं0 23/2025 बाबत उद्‌घोषणा, नक्शा दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा सं0 11/2025 उनवानी बनवारीलाल वगै. बनाम योगेश मंगल वगै. न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें आगामी सुनवाई दिनांक 25.7.2025 नियत है। उक्त प्रकरणों के संबंध में प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये संपूर्ण आरोप मिथ्या एवं बेबुनियादी है। न्यायालय हाजा में विचाराधीन उक्त प्रकरणों में विधिक प्रकिया अनुसार सुनवाई की जा रही है।

7. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. प्रार्थी द्वारा यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी दौसा में विचाराधीन दावा सं0 23/2025 बाबत उद्‌घोषणा, नक्शा दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा सं0 11/2025 उनवानी बनवारीलाल वगै. बनाम योगेश मंगल वगै. को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 से 4 ने उक्त विचाराधीन वाद को भी दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने में किोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। न्यायालय उपखंड अधिकारी दौसा में विचाराधीन दावा सं0 23/2025 बाबत उद्‌घोषणा, नक्शा दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा सं0 11/2025 उनवानी बनवारीलाल वगै. बनाम योगेश मंगल वगै. को न्यायालय उपखंड अधिकारी सैंथल को स्थानान्तरित किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। उपखंड अधिकारी दौसा उक्त विचाराधीन प्रकरण को न्यायालय उपखंड अधिकारी सैंथल को स्थानान्तरित किया जाकर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें। उभयपक्षकारान दिनांक 14.8.2025 को न्यायालय उपखंड अधिकारी सैंथल में

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:58:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। निर्णय की प्रति पालनार्थ उपखंड अधिकारी दौसा को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांकः 30 जुलाई, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायाल की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:58:12 IST
Reason: SelfAttested